

॥ कार्यालय उप महानिरीक्षक कारागार रेन्ज, जयपुर ॥

क्रमांक : उ.म.नि./स्था./प्र.भ./216/2018-19/30/3-19 दिनांक :- 27/8/2018

1. श्री माधव सिंह गुर्जर पुत्र श्री भंवर सिंह गुर्जर,
निवासी - ग्राम - पहाड़ी, पोस्ट - पालनहारा, महवा, दौसा ।
3. श्री सुरेन्द्र सिंह दौतानिया पुत्र श्री कैलाश चन्द दौतानिया,
निवासी - प्रतापपुरा, पोस्ट - जोरपुरा जोबनेर, तह. फुलेरा, जिला - जयपुर।

2. श्री राजूलाल चौधरी पुत्र श्री रामपाल चौधरी,
निवासी - चौरु, तह. फागी,
जिला - जयपुर।
4. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री गीगराज,
निवासी - हरिजन मोहल्ला, गांव - सनखां, राजगढ़, जिला - चुरू

विषय :- प्रहरी पद पर नियुक्ति के संबंध में।

प्रसंग :- इस कार्यालय का आदेश क्रमांक स्था./उ.म.नि./प्रहरी भर्ती-2015/216/2018/2713-2887 दिनांक 07.08.2018
-000-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासांगिक आदेश के द्वारा आपको कारागार विभाग में जयपुर मण्डल के तहत प्रहरी पद, नियुक्ति प्रदान करते हुये दिनांक 18.08.2018 को अपनी उपस्थिति कमाण्डेन्ट, S.T.C. B.S.F. प्रशिक्षण केन्द्र, खड़का कैम्प, ऊना रोड़, होशियारपुर (पंजाब) के समक्ष देने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आपके द्वारा दिनांक 18.08.2018 को अपनी उपस्थिति प्रदान नहीं की है।

अतः आपको अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये आदेशित किया जाता है कि आप दिनांक 30.08.2018 को आवश्यक रूप से कमाण्डेन्ट, S.T.C. B.S.F. प्रशिक्षण केन्द्र, खड़का कैम्प, ऊना रोड़, होशियारपुर (पंजाब) के समक्ष उपस्थिति हों, अन्यथा यह मानते हुये कि आप नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं आपका प्रहरी पद से चयन निरस्त कर दिया जावेगा, जिससे आप सूचित रहें।

(यादराम फांसल)

उप महानिरीक्षक कारागार,
रेन्ज, जयपुर।

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
2. कमाण्डेन्ट, S.T.C. B.S.F. प्रशिक्षण केन्द्र, खड़का कैम्प, ऊना रोड़, होशियारपुर (पंजाब) को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अभ्यर्थियों से अनुबंध पत्र, संतानों की संख्या के संबंध में शपथ पत्र, विवाह के समय दहेज न लेने व भविष्य में नहीं लेने के संबंध में शपथ पत्र एवं धूम्रपान व गुटखा सेवन नहीं करने का शपथ पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीन से अधिक संतानें होने पर संबंधित अभ्यर्थी को ड्यूटी पर नहीं लिया जाना भी सुनिश्चित करावें।

उप महानिरीक्षक कारागार,
रेन्ज, जयपुर।